सिंधिया एवं भारतसिंह आज फिर विकास कार्यों का अलग अलग करेंगे निरीक्षण

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 27अप्रैल। ग्वालियर में विभिन्न विकास कार्यों के निरीक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं स्थानीय सांसद भारतसिंह कुशवाह ने एक बार फिर से अलग अलग प्रोग्राम निर्धारित किए हैं।

ग्वालियर में वेस्टर्न बायपास के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री सिंधिया कल 28 अप्रैल, मंगलवार को प्रातः 10 बजे जय विलास पैलेस से प्रस्थान करेंगे एवं शिंदे की छावनी, बहोड़ापुर, मोती झील, पुरानी छावनी, निरावली तिराहे, राय सिंह का पुरा, बीलपुरा, जिगसोली, कुलैथ, पंजाबीपुर चौराहा, सोजना पानी की टंकी होते हुए प्रातः 11 बजे राम कृष्ण कॉलेज के पास, साडा पर वेस्टर्न बायपास के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेंगे।

सिंधिया पानी फिल्टर प्लांट सुजवाया भी जाएंगे। सिंधिया दोपहर 12.15 बजे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। उधर स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा इससे पहले कल मंगलवार को ही प्रातः 7 बजे बामोर देवरी जिला मुरैना पहुंचकर चंबल पेयजल प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों के निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक को लेकर दोनों नेता पहले भी अलग अलग कार्यक्रम करते रहे हैं।

महिला से फोन पर अभद्रता, विरोध किया तो पीटा

डबरा क्षेत्र की घटना, महिला सहित चार पर एफआईआर

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 27अप्रैल। एक बदमाश द्वारा लगातार महिला से फोन पर अभद्रता की जाती रही। जब उसने इसका विरोध करते हुए उसके परिजनों से शिकायत की, तो आरोपी और उसके परिजनों ने मिलकर महिला को बेरहमी से पीट डाला। घटना डबरा देहात क्षेत्र की है। जिसमें पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला सहित चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ग्राम अंतरपेठ निवासी महिला ने डबरा देहात थाने में शिकायत की है, कि गांव का ही रहने वाला जगदीश नामक युवक लंबे समय से उसे फोन पर परेशान कर रहा था। जो अक्सर उस पर बाहर मिलने का दबाव बनाते हुए उसकी जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकत से तंग आकर विगत रोज जब वह उसके घर शिकायत करने पहुंची और पंचायत बुलाने की बात कही, तो आरोपी व उसके परिजन तिलमिला गए। जगदीश सहित कालू, शिवम और आशा ने मिलकर उसे लात घूंसों से पीट दिया। जिन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़िता थाने पहुंची। जहां पुलिस द्वारा उसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया गया है।

लैसिक सर्जरी को कला कहा जाए, तो डॉ.भसीन हैं इस कला के श्रेष्ठ कलाकार

ग्वालियर। वैश्विक नेत्र विज्ञान मंच पर भारत की सशक्त उपस्थिति को एक बार फिर गौरव मिला, जब डॉ. पुरेन्द्र भसीन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, रतन ज्योति नेत्रालय, ने चीन में आयोजित समिट में भाग लेकर देश का प्रतिनिधित्व किया। 31 से अधिक वर्षों के सर्जिकल अनुभव और 51,000 से अधिक सफल रिफ्रैक्टिव सर्जरी के साथ, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के समक्ष अपने गहन क्लिनिकल अनुभव और उन्नत दृष्टिकोण साझा किए। यह सम्मेलन केवल एक वैज्ञानिक आयोजन नहीं, बल्कि दृष्टि सुधार की आधुनिक तकनीकोंविशेषकर आईसीएल सर्जरी पर वैश्विक विमर्श का केंद्र था, जहाँ हाई पावर चश्मे से मुक्ति के लिए इसे सबसे सुरक्षित और उन्नत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया।

आईसीएल सर्जरी: हाई पावर चश्मे से आज़ादी का आधुनिक समाधान: आईसीएल सर्जरी उन मरीजों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जिनका चश्मे का नंबर अत्यधिक होता है या जो लसिक के लिए उपयुक्त नहीं होते। इस प्रक्रिया में आंख के भीतर एक विशेष बायोकम्पैटिबल लेंस लगाया जाता है, जिससे दृष्टि अत्यंत स्पष्ट, स्थिर और प्राकृतिक बनती है।

कॉर्निया को कोई स्थायी क्षति नहीं, प्रक्रिया रिवर्सिबल (लेंस हटाया जा सकता है), ड्राय आई का जोखिम बेहद कम, नाइट विजन और विजुअल क्वालिटी बेहतर। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में तकनीक जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सर्जन का अनुभव। सही मरीज का चयन, विस्तृत प्री-ऑप असेसमेंट, और सर्जरी के दौरान सूक्ष्म निर्णय—ये सभी केवल एक अनुभवी सर्जन ही सुनिश्चित कर सकता है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओढ़पुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474006
Tel phone 0751-2446200 (Office) 0751-2373301 (Fax)
E-mail admrgwa@mp.nic.in

क्रमांक: ए.डी.एम./वि.अधि. /48/ 2026
ग्वालियर दिनांक 08 अप्रैल 2026

// विज्ञप्ति //

आवेदकगण सलमान खान पुत्र कल्लू खान उम्र 30 वर्ष निवासी रामदास घाटी शिवनगर मुरार, मोहल्ला गिर्द ग्वालियर म.प्र. एवं खुशबू खान पुत्री गुड्डू खान उम्र 25 वर्ष निवासी हनुमान बांध सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर म.प्र. द्वारा दिनांक 31.03.2026 को साक्षियों की उपस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम 1954 आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुये आशयित विवाह हेतु धारा 5 के अन्तर्गत सूचना देकर तीन कलेन्डर मास के भीतर, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित होना आशयित दर्शाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन में वर एवं वधू द्वारा यह घोषणा की गई है कि वर द्वारा 21 वर्ष तथा वधू द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उनकी आपस में कोई प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं है। यह भी घोषणा की गयी है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त - विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, ग्वालियर, 474006, मध्यप्रदेश, के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत / आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।
मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विद्युत पेंसनर्स की समस्याओं के निदान के लिए ऊर्जा सचिव ने आज बैठक बुलाई

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 27अप्रैल। मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एसके जायसवाल एवम् संयुक्त मोर्चा द्वारा विद्युत पेंशनर्स की समस्याओं के निदान हेतु समय- समय पर शासन व कंपनी प्रशासन को दिये मांग पत्र पर ऊर्जा सचिव विशेष गड़पाले द्वारा कल 28 अप्रैल को सायं 5-30 बजे भोपाल बल्लभ भवन स्थित ऊर्जा मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लिये जायेंगे। बैठक में पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के अतिरिक्त विगत माह बने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के घटक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति के मांगपत्र जिसमे पेंसन की गारंटी एव केंद्र के अनुरूप महंगाई राहत देने व अन्य समस्याओं पर भी चर्चा कर पेन्सनर्स की समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लिये जायेंगे।

बैठक में संयुक्त मोर्चा के समन्वयकगण एस के जायसवाल, अशोक गुप्ता, एस जी माकड़े, सुरेश बाबू खरे, एम एम अंसारी, पी पी मिश्रा, अभय जैन, जगदीश शर्मा, के के मनवारे, प्रेम श्रीवास्तव, दिनेश कुमार डाले, ए के अवस्थी, एच पी कहार, पी के शर्मा, एन एस रघुवंशी, हरीश श्रीवास्तव आदि भाग लेंगे।

जीडीए उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने सिंधिया का किया अभिनंदन

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 27अप्रैल। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष एंव पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुधीर गुप्ता ने आज सोमवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिवपुरी मे सौजन्य भेंट कर अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत अभिनंदन एंव आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिवपुरी समाज के अध्यक्ष राजेंद्र सेठ, के. के.सेठ, रवी कनकने, कमल गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, राजीव गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजनों द्वारा सिंधिया का स्वागत किया गया।

55 वीं संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज से होगा

ग्वालियर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में 55 वीं संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता आज 28 अप्रैल से आयोजित होने जा रही है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में क्रिकेट, टेबिल टेनिस, शूटिंग एवं योग के अंडर-14 ,17 एवं 19 आयु वर्ग के प्रतियोगी सहभागिता करेंगे। इस प्रतियोगिता में भोपाल संभाग के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों का विद्यालय में आगमन हो चुका है। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में लगभग 327 प्रतिभागी एवं अनुरक्षण शिक्षक पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्र. 1 में शिरकत करेंगे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य राजेश पांडेय ने इस आयोजन की सभी तैयारियों का जायजा लिया एवं सभी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए। योग एवं शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय क्र.1 की शूटिंग रेंज के अंतर्गत होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर-14 जीवाजी विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर होगी। क्रिकेट अंडर -17 और टेबल टेनिस अंडर-14 ,17 एवं 19 का आयोजन लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर पर आयोजित होगी।

माधव लॉ कॉलेज में लगा नि:शुल्क विधिक सहायता केन्द्र

ग्वालियर। माधव विधि महाविद्यालय के पैरालीगल सैल द्वारा महाविद्यालय में नि:शुल्क विधिक सहायता केन्द्र का आयोजन किया गया जिसमें विधि के छात्र छात्राओं को कानूनी प्रक्रिया को समझाया गया। कई आमजनों की चेकों से संबंधित, बिजली व नल का बिल, आपराधिक व सामाजिक समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा उनको नि:शुल्क विधिक सलाह प्रदान की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे ने बताया कि हमारा सपना है कि कानूनी जटिलता में फंसे हर जरूरतमंद व्यक्ति को नि:शुल्क कानूनी सलाह इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल सके। कार्यक्रम से विधि के छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से उनके निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे, सुंदरम श्रीवास्तव अधिवक्ता, राजेंद्र धाकड़ अधिवक्ता एवं अन्य सहयोगीगण मुख्य रूप में उपस्थित रहे।

शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो कांच की बोतल से किया हमला

ग्वालियर। बदमाश द्वारा चाकू लहराते हुए एक कारोबारी से शराब पीने के लिए रुपयों की डिमांड की गई। जब उसने उसकी बात मानने से इंकार किया, तो आरोपी ने कांच की बोतल से उस पर हमला कर दिया। जिसने वहां खड़ी कारोबारी की कार के कांच भी फोड़ डाले। घटना कंपू इलाके की है, जिसमें फरियादी की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जवाहर कॉलोनी, चना कोठार निवासी गोविंद गोयल कारोबारी हैं। बीती रात क्षेत्र में ही रहने वाला हरेंद्र सिंह चौहान उर्फ छिदू चौहान उनके पास आया और सब्जी काटने की छुरी दिखाते हुए शराब पीने के लिए पैसों की डिमांड करने लगा। जब कारोबारी ने उसकी बात मानने से इंकार किया, तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा।

जिसका विरोध करने पर उसने शराब की बोतल फोड़कर उनके हाथ पर दे मारी, जिससे वह घायल हो गए। शोर सुनकर जब अंशुल गोयल व मानस गोयल ने वहां आकर बीचबचाव का प्रयास किया, इस पर आरोपी ने उन पर कांच की बोतल से हमला कर दिया जिससे वह भी चोटिल हो गए।

शपथ पत्र नाम परिवर्तन सूचना

मैं **मुनी देवी (MUNI DEVI)** पत्नी **श्री अशोक कुमार (ASHOK KUMAR)** आयु 64 वर्ष, निवासी-सागर एवेन्यू अपार्टमेंट महावीर कॉलोनी काल्पि ब्रिज गिर्द ग्वालियर म.प्र. 474006
सर्वसाधारण को शपथ पूर्व सूचित करती हूं कि
(1) यह कि मेरा सही नाम **मुनी देवी (MUNI DEVI)** पत्नी **अशोक कुमार (ASHOK KUMAR)** है और मेरा यही नाम मेरे पति के **PPO** नम्बर 240550117379 पर भी लिखा हुआ है।
(2) यह कि मेरे आधार कार्ड नं. 9106 7328 2464 पर त्रुटि के कारण मेरा नाम मुन्नी देवी **(MUNNI DEVI)** पत्नी अशोक सिंह **(ASHOK SINGH)** लिखा हुआ है जो कि मेरा गलत नाम है.
(3) यह कि मुझे अपने आधार कार्ड पर अपना सही नाम **मुनी देवी (MUNI DEVI)** पत्नी **अशोक कुमार (ASHOK KUMAR)** लिखवाना है, जिस हेतु म.प्र. के राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता है।
(4) यह कि प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम **मुनी देवी (MUNI DEVI)** पत्नी **अशोक कुमार (ASHOK KUMAR)** लिखा पढ़ा एवं दर्ज किया जावेग।
प्रेषक
मुनी देवी (MUNI DEVI) पत्नी अशोक कुमार (ASHOK KUMAR) निवासी- सागर एवेन्यू अपार्टमेंट महावीर कॉलोनी काल्पि ब्रिज गिर्द ग्वालियर म.प्र. 474006

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं.20 वार्ड क्रं.48, भवन क्रं., स्थान: 607 का भाग, कदम साहब का बाडा ग्वालियर पर स्थित है जो कि घनश्यामदास गेही, दीवानलाल, सुनील, दिलीप गेही/स्व. श्री जेऊमल गेही से नगर निगम में आई.डी. क्रं.1000071581 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल **470** वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं.**R-15032600430717** दिनांक 16.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिंधी कॉलोनी क्षे. क्रं.20 पर दिनांक 27.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 74/2010/65465/65531/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम पता -
श्रीमती नाजमा कुरैशी/श्री रज्जाक कुरैशी
पता : कदम साहब का बाडा वार्ड- 48
विज्ञप्ति जारी दिनांक : 27.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं.20 वार्ड क्रं.48, भवन क्रं., स्थान: फ्लैट 201, गजानंद अपार्टमेंट बजरंगगढ ग्वालियर पर स्थित है जो कि गौरीकृपा कंस्ट्रक्शन एलएलपी द्वारा रामचन्द्र रोहिरा, हरीश माधवदास नागदेव, शिवप्रताप सिंह भदौरिया, राजेश कुमार काकवानी से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000071581 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल **860** वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं.**R-16022600273598** दिनांक 19.02.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिंधी कॉलोनी क्षे. क्रं.20 पर दिनांक 13.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 74/2010/65421/65487/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम पता -
श्रीमती लता हेमनानी/श्री गोविन्दराम हेमनानी
पता : 201, गजानंद अपार्टमेंट बजरंग गढ वार्ड- 48
विज्ञप्ति जारी दिनांक : 27.04.2026

शपथ पत्र नाम परिवर्तन सूचना

मैं **श्रीमती गिरजा त्रिपाठी** पत्नी श्री **मुकेश त्रिपाठी** आयु 32 वर्ष निवासी- चाणक्यपुरी सचिन तेंदुलकर मार्ग नजदीक सिटी सेन्टर मुरार ग्वालियर म.प्र. 474006.
शपथपूर्वक सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि
(1) यह कि मेरे विवाह के पूर्व मेरा नाम **गिरजा मुदगल (GIRIJA MUDGAL)** पुत्री **नाथूराम मुदगल (NATHURAM MUDGAL)** था.
(2) यह कि मेरा यही नाम मेरी शैक्षणिक अंक सूचि एवं मेरे पेन कार्ड पर भी लिखा हुआ है।
(3) यह कि मेरा विवाह **मुकेश त्रिपाठी** से होने के उपरान्त मेरा नाम गिरजा त्रिपाठी **(GIRIJA TRIPATHI)** पत्नी **मुकेश त्रिपाठी (MUKESH TRIPATHI)** हो गया है. मेरे वोटर कार्ड पर भी मेरा यही नाम है.
(4) यह कि **गिरजा मुदगल** पुत्री **नाथूराम मुदगल** तथा **गिरजा त्रिपाठी** पत्नी **मुकेश त्रिपाठी** दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति मुझ शपथकर्ता के शादी के पूर्व व शादी के बाद के नाम हैं.
(5) यह कि मेरे आधार कार्ड नं. ×××× ×××× 2449 पर त्रुटि के कारण मेरे पुकारने का नाम **ज्योति त्रिपाठी** पत्नी **मुकेश त्रिपाठी** लिखा हुआ है। जो कि मेरा गलत नाम है।
(6) यह कि मेरा सही नाम **गिरर्जा त्रिपाठी (GIRIJA TRIPATHI)** पत्नी **मुकेश त्रिपाठी (MUKESH TRIPATHI)** है।
(7) यह कि मुझे अपने आधार कार्ड पर अपना सही नाम **(GIRIJA TRIPATHI)** पत्नी **मुकेश त्रिपाठी (MUKESH TRIPATHI)** लिखवाना है, जिस हेतु म.प्र. के राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता है। अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम **गिरजा त्रिपाठी (GIRIJA TRIPATHI)** पत्नी **मुकेश त्रिपाठी (MUKESH TRIPATHI)** लिखा पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.
प्रेषक
श्रीमती गिरजा त्रिपाठी पत्नी श्री मुकेश त्रिपाठी आयु 32 वर्ष निवासी- चाणक्यपुरी सचिन तेंदुलकर मार्ग नजदीक सिटी सेन्टर मुरार ग्वालियर म.प्र. 474006.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम पूजा शेतवानी (Pooja Shetwani) था। शादी के बाद अब मेरा नाम दिया छाबड़ा (Diya Chhabra) पत्नी श्री जुगल छाबड़ा हो गया है। अतः भविष्य में अब मुझे मेरे नये नाम दिया छाबड़ा (Diya Chhabra) के नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा व पुकारा जावें। समस्त सूचित हो।
सूचनाकर्ता : दिया छाबड़ा (Diya Chhabra)
पत्नी श्री जुगल छाबड़ा, निवासी : ए-3, समाधिया कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

नाम परिवर्त सूचना

मैं **बृजनारायण (BRIJNARAYAN)** पुत्र श्री ख्यालीराम, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **बृजनारायण शर्मा (BRIJNARAYAN SHARMA)** था जो मेरे समग्र आईडी एवं शैयर में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं **बृजनारायण** पुत्र श्री ख्यालीराम के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊँगा। जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड निर्वाचन, बैंक पास बुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **बृजनारायण शर्मा** एवं **बृजनारायण** दोनों मेरे ही नाम है। अतः मेरे समग्र आईडी एंव शैयर में मेरा नाम **बृजनारायण शर्मा** के स्थान पर **बृजनारायण** लिखा एवं पढ़ा जावे। आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।
पूर्व नाम-बृजनारायण शर्मा
वर्तमान नाम-बृजनारायण पुत्र श्री ख्यालीराम,
पता :- चार शहर का नाका ग्वालियर म.प्र. 474003

नाम परिवर्त सूचना

मैं **पूरन कौर (PURAN KAUR)** पत्नी **श्री करम सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम **रंजीत कूर (RAJNEET COOR)** था जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **पूरन कौर (PURAN KAUR)** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं एवं जाऊंगी। जो मेरे शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। **पूरन कौर** एवं **रंजीत कूर** दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **रंजीत कूर** के स्थान पर **पूरन कौर** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
पूर्व नाम — **रंजीत कूर**; **वर्तमान नाम** — **पूरन कौर**
पत्नी श्री करम सिंह
पता- ग्राम हुरावली बी ब्लोक, मुरार ग्वालियर म.प्र.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 1007/26 राजस्व ग्राम बड़ोखर का भाग होकर वार्ड क्रमांक 28 (इंदिरा गांधी वार्ड), श्रीराम मंदिर के पास, सुभाष नगर बड़ोखर, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-दिलीप सिंह परमार का प्लॉट, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में-शिवानी का भू-खण्ड, दक्षिण में-आम रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री विजय सिकरवार पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह सिकरवार निवासी ग्राम सिहोनिया, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री प्रवीण बांदिल पुत्र श्री बालमुकुंद बांदिल जाति वैश्य निवासी सब्जीमण्डी के पास मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन क्रमांक MP25792024A1369567 से दिनांक 22/03/2024 को क्रयकर मेरे पक्षकार पिरामल फाइनेन्स लिमिटेड ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, आवेदक के अनुसार सम्पत्ति का पूर्व मूल विक्रय पत्र ग्रंथ क्रमांक 8933, दस्तावेज क्रमांक 3103 दिनांक 13/12/2012 आवेदक से कहीं गुम हो गया है जिसका आवेदक के द्वारा अथवा उसके संज्ञान में किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांक : 27/04/2026
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रात : 11.00 से सांय 05.00 तक

शपथ पत्र नाम परिवर्तन सूचना

मैं **रजत जैन** पुत्र **प्रवीण जैन** जन्म दिनांक 18.07.1993 व्यवसाय-व्यापार, निवासी- 16-ए, दाल मिल बगल मे. शिवहरे कॉलोनी, मीरा नगर, गिर्द, ग्वालियर 474006
मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-
1. यह कि मुझ शपथकर्ता की पुत्री **अजीता जैन (AJITA JAIN)** के आधार कार्ड नं. 6378-8696-9129 पर त्रुटि के कारण उसका का नाम **अनयरा जैन (ANAYRA JAIN)** पुत्री **रजत जैन (RAJAT JAIN)** लिखा हुआ है। जो कि उसका गलत नाम है।
2 यह कि मुझ शपथकर्ता के पुत्री का सही नाम अजीता जैन **(AJITA JAIN)** पुत्री **रजत जैन (RAJAT JAIN)** है।
3. यह कि मुझ शपथकर्ता के पुत्री **अजीता जैन (AJITA JAIN)** पुत्री **रजत जैन (RAJAT JAIN)** के जन्म प्रमाण पत्र पर भी उसका यही सही नाम लिखा हुआ है।
4. यह कि मुझ शपथकर्ता को अपनी पुत्री के आधार कार्ड नं. 6378-8696-9129 पर उसका सही नाम **अजीता जैन (AJITA JAIN)** पुत्री **रजत जैन (RAJAT JAIN)** लिखवाना है।
5. यह कि मुझे अपने पुत्री के नाम परिवर्तन हेतु म.प्र राजपत्र में प्रकाशन की अवश्यकता है।
6. यहकि प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में, समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में मुझ शपथकर्ता की पुत्री का सही नाम **अजीता जैन (AJITA JAIN)** पुत्री **रजत जैन (RAJAT JAIN)** लिखा व पढ़ा जाए व तदानुसार ही दर्ज किया जाए।
प्रेषक
रजत जैन पुत्र प्रवीण जैन निवासी- 16-ए, दाल मिल बगल मे, शिवहरे कॉलोनी, मीरा नगर, गिर्द, ग्वालियर 474006

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 35, भवन क्रं. 1016, स्थानः शिरकी वाला मोहल्ला, सूबे की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मथुरा प्रसाद माहौर / स्व. श्री देवलाल माहौर के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000333245 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत-पत्र क्र. **A3890122** दिनांक 10.07.2024 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 27.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39019/61208/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
राजेन्द्र कुमार माहौर / स्व. श्री रामदास
पताः शिरकी वाला मोहल्ला, सूबे की गोठ, वार्ड-35
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 27-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 41, भवन क्रं. 1156, स्थानः फ्लैट क्र. 103 एम.ए. मेंशन, जीवाजीगंज पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती प्रफुल्ल सक्सैना / श्री आनंद बिहारी सक्सैना के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000227526 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **A1294445** दिनांक 17.06.2020 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 27.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39022/61211/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
रामऔतार सिंह यादव / श्री चन्दन सिंह यादव
पताः फ्लैट क्र. 103 एम.ए. मेंशन, जीवाजीगंज, वार्ड-41
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 27-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. 1530, स्थानः नवग्रह कॉलोनी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती द्रोपती / श्री बाल मुकुंन्द उचाड़िया के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000228482 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. मृत्युउपरांत-उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 27.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/58854/59046/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
चन्द्रसेन, गौरव उचाड़िया / श्री बालमुकुन्द उचाड़िया
पताः नवग्रह कॉलोनी, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 27-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 46, भवन क्रं. .., स्थानः गणेश कॉलोनी, नया बाजार पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती शकुंतला पंडोले / श्री अन्नाजी राव के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000330393 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1224 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **A100219024** दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाड़ा औषधालय क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 27.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 82/2011/25380/25468/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
श्रीमती रिचा जैन / श्री अमन जैन
राकेश कुमार जैन / श्री नरेश चन्द जैन
पताः गणेश कॉलोनी, नया बाजार, वार्ड-46
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 27-04-2026

नाम परिवर्त सूचना

मैं **रघुराज सिंह (RAGHURAJ SINGH)** पुत्र श्री **रनवीर सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम **नीतेश गुर्जर (NEETESH GURJAR)** है मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से **नीतू गुर्जर (NEETU GURJAR)** लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री का नाम **नीतेश गुर्जर** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती है एवं जाएगी। जो उसके शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **नीतेश गुर्जर** एवं **नीतू गुर्जर** दोनों मेरी ही पुत्री के नाम हैं अतः मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम **नीतू गुर्जर** के स्थान पर **नीतेश गुर्जर** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
पूर्व नाम — **नीतू गुर्जर**; **वर्तमान नाम** — **नीतेश गुर्जर**
सूचनाकर्ता नाम
रघुराज सिंह
पता- वार्ड नं. 15 गुगांवली रोड़ मेहगांव, भिण्ड म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 05 स्थान बी-1014 आनंद नगर में स्थित है जो कि सुभाष कुमार चन्द्रकान्ता, नरेन्द्र कुमार,रीना शाक्य/लालपति शाक्य नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000242105 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 949 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602017ए1727604 दिनांक 3/01/2018 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर दिनांक 27/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन का कार्य क्रमांक 60/2010/74042/74248 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-4-2026
नरेन्द्र कुमार शाक्य/रामचरन, रीना शाक्य /नरेन्द्र कुमार शाक्य
पता : बी-1014,आनंद नगर, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-9329607827

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 04 स्थान प्लॉट नं-302,बृन्दावन धाम,गालव नगर में स्थित है जो कि योगेश शर्मा/स्व.श्याम दर्शन शर्मा नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1001742374 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 675 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602020ए1786585 दिनांक 25/11/2020 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर दिनांक 27/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन का कार्य क्रमांक 60/2010/74041/74247 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-4-2026
राकेश मौर्य/रामभरोसे मौर्य,
दयावती मौर्य/राकेश बाबू मौर्य
पता : प्लॉट नं-302,बृन्दावन धाम, गालव नगर, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-7828595952

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान रानीपुरा में स्थित है जो कि रामस्वरूप/राम चरन बाथम नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000180410 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 426 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर17402025ए101000954 दिनांक 06/11/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-4-2026
ब्रजलता/बलराम बाथम
पता : रानीपुरा, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-9039350435

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक01 वार्ड क्रमांक 04 स्थान गालव नगर में स्थित है जो कि रौनक/राकेश जैन,मधु जैन/राकेश जैन नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 2000011931 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/ जीआर17402026ए100434609 दिनांक 08/04/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर दिनांक 27/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन का कार्य क्रमांक 60/2010/74038/74244 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-4-2026
कल्पना शर्मा/देवेन्द्र शर्मा
पता : गालव नगर, ग्वालियर(म.प्र.)

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक01 वार्ड क्रमांक 04 स्थान गालव नगर में स्थित है जो कि मधु जैन/राकेश जैन नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 2000116028 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1198 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर17402026ए100426522 दिनांक 06/04/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर दिनांक 27/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन का कार्य क्रमांक 60/2010/74037/74243 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-4-2026
कल्पना शर्मा/देवेन्द्र शर्मा
पता : गालव नगर, ग्वालियर(म.प्र.)

फार्म नम्बर 4 — सूचना/प्रकाशन हेतु

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाईन्स, जबलपुर म.प्र. 482001
(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)

मूल आवेदन संख्या 1605/2025

बैंक ऑफ बड़ौदा आरओ एसएआरबी शाखा ग्वालियर — **आवेदक**
खिलाफ
मैसर्स नैप स्पोर्ट्स एवं अन्य — **अनावेदकगण**

प्रति,
1. मैसर्स नाप स्पोर्ट्स प्रॉप श्री क्षितिज गुप्ता निवासी स- 17 डीडी मॉल फूलबाग लश्कर ग्वालियर एमपी 474001
2. श्री क्षितिज गुप्ता निवासी ल2-12, सिरौल रोड, विंडसर हिल्स ग्वालियर एमपी 474011

जबकि ओ.ए. संख्या 1605/2025 माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 28/01/2026 को सूचीबद्ध किया गया था। जबकि माननीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के तहत आपके विरुद्ध दायर उक्त आवेदन (ओए) पर 31,14,627.82/- रुपये के ऋण की वसूली के लिए समन/नोटिस जारी करने में प्रसन्न है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 04 के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं।
1.समन की तामील होने के तीस दिनों के भीतर यह कारण बताना होगा कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2.आवेदक द्वारा आवेदन के क्रमांक 3-ए के अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करना। 3. संपत्ति कुर्क करने के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, मूल आवेदन के क्रमांक 3-ए के अंतर्गत प्रकट की गई गिरवी रखी गई संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना उनसे कोई लेन-देन करने से आपको प्रतिबंधित किया जाता है। 4. आप अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा, बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित निर्मित है और/या अन्य संपत्तियां जो मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट या प्रकट की गई हैं, न्यायाधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना। 5. आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में गिरवी रखी गई संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन संपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करेंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी जाएगी और इसे 07/07/2026 सुबह 10 :30 बजे तक जमा करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हों, जहाँ आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत यह दिया गया है 20/04/2026 का दिन।

सील एवं हस्ताक्षर
न्यायाधिकरण के आदेश से
ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश